316 of 2017 B.A

THE COURT

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
08/09/2017 03:00 to 03:15 P.m.	आवेदक मोहम्मद इशरार उर्फ मुन्ना खां द्वारा श्री विकास कांकर अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मौ के अपराध कमांक 214/17 अंतर्गत धारा—34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की केंफियत व केंस खयरी प्राप्त। आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के साथ में आवेदक के पुत्र इमरान खां का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0स0 है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केंस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है। जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तथाकथित अपराध से उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक का कस्बा मौ गोहद पर मुख्य मार्ग पर सडक से लगा हुआ प्लाट है, जिसका बाजारू मूल्य वर्तमान में 50 लाख रूपए है। उक्त प्लॉट को कस्बा मौ के गुड्डू यादव तथा थाना प्रभारी मौ दोनों मिलकर खरीदना चाहते हैं। जिस प्रार्थी ने बेचने से इन्कार कर दिया, तो उनके द्वारा आवेदक को उक्त अपराध में इंता फंसा विवा करने के उद्देश्य से आवेदक को उक्त अपराध में झूंटा फंसा दिया है। आवेदक से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक के घर वालों को जानकारी होने पर उनके द्वारा कई बार पूछे जाने पर गिरफ्तारी के दूसरे दिन भावतंविक की धरा—457, 380 में गिरफ्तार किया जाना बताया था। आवेदक दिनांक 23.08.17 से न्यायिक निरोध में होकर गोहद जेल में बंदी है। आवेदक ने न तो पूछताछ होनी है और न ही कोई बरामदगी। अनुसंधान हेतु आवेदक की कोई आवश्यकता	Alexandra de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa

नहीं है। आवेदक सीधा—साधा व्यक्ति होकर टेलरिंग का काम करता है। आवेदक 55 वर्षीय वृद्ध होकर अपने परिवार का अकेला भरण—पोषण करने वाला है। उसके जेल में रहने से उसका परिवार भी प्रभावित होगा। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 23.08.17 को आवेदक / अभियुक्त मोहम्मद इशरार उर्फ मुन्ना खां की वार्ड कमाक 13 द्वारिकापूरी में स्थित टेलरिंग की दुकान में आवेदक के आधिपत्य से 70 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई है। इस प्रकार शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड